

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी
पीठासीन अधिकारी :- सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 209/2023
दायर दिनांक :- 21.08.2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2023/31
निर्णय दिनांक :- 21.04.2025

1. भोमसिंह पुत्र खमानसिंह जाति राजपूत निवासी जैमला तहसील बाप जिला फलोदी

—प्रार्थी

बनाम्

1. उम्मेदसिंह पुत्र खुमानसिंह जाति राजपूत निवासी जैमला तहसील बाप जिला फलोदी
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपरिथत :-1. श्री राजेन्द्रसिंह सौलकी अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री करणीसिंह राठौड़ अधि. अप्रार्थी सं. 1
3. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

—:निर्णय:-

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय से पेश किया है कि सरहद मौजा जैमला पटवार क्षेत्र शेखासर तहसील बाप में प्रार्थी की खातेदारी की काश्त भूमि खसरा नम्बर 205/4 रकबा 9.2268 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थी की उक्त भूमि पर आज दिन तक लगातार शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी ने उक्त भूमि पर रहवासीय ढाणी, पानी के टांके, पशुओं के बाड़े इत्यादि बना रखे हैं और प्रार्थीया अपने परिवार सहित बारह मास निवास करता आ रहा है नकल जमाबंदी व नक्शा ट्रेस संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी उक्त खातेदारी अधिकारों के चिपती अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 205/12 रकबा 12.1406 हैक्टेयर भूमि ग्राम जैमला पटवार क्षेत्र शेखासर तहसील बाप में आई हुई है। प्रमाणित जमाबंदी व नक्शा ट्रेस संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 205/4 की भूमि एवं उसमें बनी रहवासीय ढाणी में आने जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 का खसरा नम्बर 205/12 की भूमि में से रास्ता हेतु संलग्न नजरी नक्शा अनुसार उपयोग में ली जा रही है। प्रार्थी को आने जाने हेतु उक्त रास्ते के आलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा पूर्व में अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि में से आने जाने हेतु रास्ते का उपयोग लिया जा रहा था। अप्रार्थी संख्या 1 उक्त रास्ते को बंद करने को आमामादा है। अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि से लगती सड़क मार्ग निकलता है जो मौके पर जैमला से राजपूतों की ढाणियों तक जाता है जिस सड़क मार्ग तक पहुंच हेतु प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र नये रास्ते की घोषणा हेतु प्रस्तुत करना पड़ रहा है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर सिगोदार की रिपोर्ट ली गयी व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया और अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार बाप ने मौका रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। अप्रार्थी संख्या 1 की और से अधिवक्ता करणीसिंह राठौड़

A-21/4/m
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में बहस सुनी गई।

विचाराधीन प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों के अन्तर्गत तहसीलदार बाप से निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व मौका फर्द अनुसार—

1. प्रार्थी वर्तमान में अस्थाई तौर पर खसरा नंबर 205/4 में आने जाने हेतु रास्ता खसरा नंबर 205/12 के किनारे से उपयोग में ले रहे हैं जो कि स्वीकृत शुदा नहीं है।
2. खसरा नंबर 205/4 के निकटतम खसरा नम्बर 205/12 के चिपती सड़क है।
3. यदि खसरा नंबर 205/12 में से रास्ता दिया जाता है तो 0.08 बीघा भूमि रास्ते में आती है जो सबसे निकटतम व सुविधाजनक होगी।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251-क के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु निम्नांकित बिन्दुओं का विवेचन किया गया —

1. रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता।
2. वैकल्पिक रास्ते की आवश्यकता।
3. नया मार्ग लघुतम रूट से हो।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी, पत्रावली में संलग्न जमाबंदी, नजरी नक्शा, तहसीलदार बाप की रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया गया रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, वैकल्पिक रास्ते के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम जैमला पटवार क्षेत्र शेखासर के खसरा नंबर 205/12 में से मौका फर्द के संलग्न नजरी नक्शानुसार 0.08 बीघा रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता का अकंन किया जाकर मौके पर रास्ता चालू करवाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त स्वीकृत रास्ते की एवज में डीएलसी की दुगनी दर से प्रतिकर देय होगा जिसकी गणना तहसीलदार बाप द्वारा करवाई जावेगी। प्रार्थी द्वारा उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के उपरांत गै.मु.रास्ते का अकंन राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार बाप को पालनार्थ लिखा जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.04.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)
(सुरेश राम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)